

फाइल अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

ग मुकदमा

विषय

जाना संजी

मा

पत्रावली संख्या 123/19

सम

कार्यवाही विवरण

हरतावर पार्टी तथा
शुधनाए जारी की गई

8.4.24.

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।
पत्रावली में दिनांक 20.2.20 को समान नरिख रजि. 570
तागिल कराने हेतु लिखा ओ केशित किया गया था एवं वादी को
अन्तिम अवसर भी दिया गया वातजूद उल्लेख वादी द्वारा
सममान प्रोत्तेष प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा ना ही वादी
अपस्थित हुआ है। न्यायालय द्वारा वादी को रजि. ककरु
लीन बार आवाज लगावई गई वातजूद उल्लेख कोर्ट अप.
नहीं हुआ, ना ही न्यायालय समान समानि रजि कोर्ट
उपस्थित लेखक है, जिसमे यह जाहिर है कि वादी
अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वादी अपने
वाद को चलाना चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 5 एवं आदेश
9 नियम 8 अदम शामिल, अदम हजरी 6 अदम फेंबी में
खारिज किया जाता है। निर्णय अरे उजलास सुनाया गया।
प्रकरण फंसल शुमार दोकर नम्बर से कम है।

(रिवाज)

DAS

उपखण्ड अधिकारी
गिरवा, उदयपुर